

दिल्ली विधान सभा सचिवलय
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
मंगलवार 11 जून, 2002 / 21 ज्येष्ठ, 1924 (शक)

संख्या : 2 //

सदस्यों की नज़र बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित कन्ट्रोल रूम, मध्य जिला, दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यों सर्वश्री जगदीश मुखी, हर्ष वर्धन , साहब सिंह चौहान, नरेश गौड़, मोहन सिंह बिष्ट, पूरण चन्द योगी, नन्द किशोर गर्ग एवं श्री जय भगवान अग्रवाल को दिनांक 7 /6/ 2002 के अपराहन 12.30 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत प्यारे लाल भवन आई.टी.ओ. से नज़र बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 7/6/2002 को अपराहन 12.40 बजे वहीं से रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, 11th June, 2002/ Jyasht 21, 1924(saka)

NO-2 //

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from Central District, Control Room, Delhi:-

I have the honour to inform you that S/Shri Jagdish Mukhi, Harsh Vardhan, Sahab Singh Chouhan, Naresh Gaur, Mohan Singh Bisht, Puran Chand Yogi, Nand Kishor Garg and Shri Jai Bhagwan Aggarwal, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi were detained at Payre Lal Bhawan I.T.O. U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 12.30 P.M. on 7.6.2002.

They were released at 12.40 P. M on the same day i.e. 7.6.2002.

S.K.SHAMRA
SECRETARY